दिनांक : .०८.२०१९

प्रति,

१. माननीय केंद्रीय गृहमंत्री,
भारत सरकार, नई देहली
२. माननीय राज्यपाल, आंध्रप्रदेश

विषय : धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए ईसाई पास्टर, मुस्लिम इमाम तथा मौलानाओं को मासिक वेतन देने का निर्णय निरस्त करने के संबंध में....

महोदय,

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने हाल ही में आय-व्यय पत्रक (बजट) घोषित किया है । इसमें ईसाई पास्टर, मुस्लिम इमाम और मौलानाओं को मासिक वेतन देने के लिए आर्थिक वर्ष 2019-20 में 948.72 करोड रुपयों की व्यवस्था की है । राज्य सरकार का यह निर्णय धार्मिक भेदभाव और पक्षपात करनेवाला है तथा यह विशिष्ट जाति-धर्म की मतपेटी की रक्षा के लिए लिया गया है । इससे विविध जातियों-पंथों और धर्मों में कटुता उत्पन्न होकर देश की एकता-अखंडता संकट में आ सकती है । यह निर्णय गरीब होनहार बहुसंख्यक हिन्दू पुजारी, धर्माचार्य, संत, आचार्यों पर घोर अन्याय करनेवाला है । एक ओर 'भारत का शासन धर्मनिरपेक्ष है', 'शासन की दृष्टि से सर्वधर्म समान हैं', ऐसा कहना तथा दूसरी ओर केवल ईसाई और मुस्लिमों के धार्मिक व्यक्तियों को वेतन देना, यह संविधान के किन तत्त्वों में आता है ? एक ही देश में रहनेवाले; परंतु अलग-अलग धर्म के लोगों को अलग-अलग न्याय, ऐसा क्यों ? ऐसा करना लोकतंत्र के सिद्धांतों को कालिख पोतने समान है ।

*** इस अनुषंग से ध्यान में आए सूत्र यहां दे रहे हैं ....**

1. मूलतः भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक इस शब्द की व्याख्या ही स्पष्ट न होने के कारण अल्पसंख्यक किसे कहें ? यह स्पष्ट नहीं होता । पिछली कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम और ईसाइयों के तुष्टीकरण के लिए में वर्ष 1992 में स्थापित किया हुआ अल्पसंख्यक विभाग और आयोग असंवैधानिक सिद्ध होता है; क्योंकि देश में जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के आधार पर जनता में भेद करना संविधान के तत्त्वों के विरुद्ध है । इसलिए अल्पसंख्यक के रूप में दिया गया लाभ असंवैधानिक है ।

2. इससे पूर्व कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को हजयात्रा के लिए दिया जानेवाला हजारों करोड रुपयों को अनुदान सर्वोच्च न्यायालय ने गैरकानूनी कहकर शासन को उसे बंद करने के लिए कहा था । केंद्र की मोदी सरकार ने हजयात्रा का अनुदान बंद कर दिया है । अनेक राज्यों ने भी अपने-अपने राज्यों में धर्म के आधार पर दिया हुआ मुस्लिम और ईसाई आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया है । इसलिए पुनः जाति-पंथ और धर्म के आधार पर छूट देना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है ।

3. एक ओर देश में सरकार सर्वत्र केवल हिन्दुओं के मंदिरों का सरकारीकरण कर मंदिरों की तिजोरी के करोडों रुपयों का उपयोग विकास के नाम पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए करती है । इसमें हिन्दुओं के मंदिरों के पुजारियों को सरकार कभी एक रुपया भी वेतन नहीं देती ।

4. देश की कुल जनसंख्या में 70 प्रतिशत से अधिक हिन्दुओं की संख्या है तथा वे बहुसंख्यक हैं । उसी प्रकार देश में कर और परिश्रम से जमा होनेवाला पैसा बहुसंख्यक हिन्दुओं का है । ऐसा होते हुए हिन्दुओं का पैसा केवल धर्म-पंथ के आधार पर मुस्लिम-ईसाइयों को देना और हिन्दुओं को नकारना हिन्दू समाज से किया हुआ

द्रोह है । इससे हिन्दुओं में तीव्र आक्रोश और असंतोष अवश्य उत्पन्न होगा ।

5. केवल ईसाई और मुस्लिम धर्मियों के धार्मिक व्यक्तियों को वेतन देने के कारण शासन धर्म के आधार पर योजना कार्यान्वित कर धार्मिक भेदभाव कर रहा है, ऐसा संदेश समाज में पहुंचेगा ।

6. केवल 'हिन्दू' होने के कारण शासकीय सुविधाएं नहीं मिलतीं, ऐसा संदेश इसके द्वारा जनता में पहुंचेगा तथा इस कारण हिन्दुओं में अन्याय की भावना वृद्धिंगत होगी तथा उनका मत बन जाएगा कि 'शासन हिन्दू विरोधी है ।'

7. एक राज्य में यदि इस प्रकार वेतन प्रारंभ होगा, तो अन्य राज्यों में भी ईसाई और मुस्लिम ऐसी मांग करेंगे तथा यदि अन्य राज्य इस निर्णय का अनुकरण करेंगे, तो देश में अराजक फैले बिना नहीं रहेगा ।

8. सरकार के ऐसे निर्णय के कारण हिन्दू समाज में निरंतर यह भावना बढ रही है कि हिन्दू होने के कारण ही हम पर अन्याय किया जा रहा है । यदि यही स्थिति बनी रही, तो राज्य तथा देश में सामाजिक स्वास्थ्य बिगड सकता है । इसलिए केंद्रशासन और राज्यपाल को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है । .

इस प्रकरण में हमारी निम्नांकित मांगे हैं ....

1. धर्मनिरपेक्ष सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए केवल ईसाई पास्टर, मुस्लिम इमाम और मौलानाओं को मासिक वेतन देने का आंध्रप्रदेश राज्य सरकार का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाए ।

2. देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई रखनी हो, तो जाति-पंथों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए तथा धर्म, जाति, पंथ और वर्गविशेष समुदाय के आधार पर दी जा रही सुविधाएं स्थायी रूप से निरस्त करने के लिए संपूर्ण देश में 'समान नागरिक कानून' लागू किया जाए ।

आपका विश्वासपात्र,

संपर्क :